आदिवासी क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए विशेष विपणन सुविधाएं

579. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कृषकों को, अपना उत्पादन अपने आप बाजार तक पहुंचाने में असमर्थ होने के कारण या बाजार पर उनका कोई नियंत्रण न होने के कारण, मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में अपना कृषि उत्पादन बिचोलियों और व्यापारियो को बहुत कम मूल्यों पर बेचना पड़ता है जबकि उपरोक्त वस्तुओं का वास्तविक मूल्य बहुत अधिक होता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार देश के अविकसित क्षेत्रों, विशेषकर आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रो मे कृषि उत्पादन के लिए विपणन की विशेष व्यवस्था करने की दशा में कोई नई पहल कर रही है; और

(ग) क्या यह सच है कि वर्तमान में जो सहकारी समितियां वहां पर कार्य कर रही हैं व अभी तक कारगर सिद्ध नहीं हुई हैं; यदि हां, तो क्या उक्त समितियों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कोई कार्यवाही की जा रही है?

उप-प्रधान मंत्री और कृषि मंत्री (श्री देवी लाल) : (क) मध्य प्रदेश के पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में घाटे की बिक्री की कोई विशेष घटना भारत सरकार के ध्यान में नहीं आई है। तथापि, उत्पादकों में अपनी फसल को रोके रखने की कम क्षमता, क्षेत्र में यातायात साधनो की कमी, भण्डारण सुविधाओं और विपणन ढांचे के अभाव के कारण कृषि उपज की घाटे पर बिक्री हो सकती है।

(ख) भारत सरकार कृषि उपज मंडियों के विकास के लिए शत प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। परियोजनाओं के अनुमोदन के समय आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाती है।

(ग) संविधान के अन्तर्गत "सहकारी समितियां" राज्य का विषय है। किसानों की सहायता करने के लिए सहकारी समितियों को अधिक प्रभावकारी ढंग से सुदृढ़ बनाने हेतु आवश्यक उपाय राज्य सरकारों द्वारा किये जाते हैं।

मध्य प्रदेश में बीड़ी मजदूरों को ई०एस०आई० योजना का लाभ दिया जाना

580. **श्री अजीत जोगी :**
श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में कार्यरत बीड़ी मजदूरों को अभी तक ई०एस० आई० योजना का लाभ नहीं मिला है;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योजना के अधीन सभी बीड़ी मजदूरों को लाभ दिलाने के लिए क्या पहल की जा रही है;

(ग) देश के अन्य प्रदेशों में कार्यरत बीड़ी मजदूरों की क्या स्थिति है; और

(घ) क्या सरकार मजदूरों को उपरोक्त योजना का लाभ देकर शोषण से मुक्ति दिलाने के लिए कोई कार्यवाही कर रही है क्योंकि अधिकांश बीड़ी मजदूर समाज के सर्वहारा वर्ग के हैं?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) से (ग) क० रा० बी० योजना को क्षेत्र-वार श्रमिक ढंग से लागू किया जा रहा है। मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों जैसे आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में बीड़ी का निर्माण करने वाले प्रतिष्ठान, जो बिजली का प्रयोग करते हैं तथा 10 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और ऐसे प्रतिष्ठान जो बिजली

का प्रयोग नहीं करते हैं तथा 2 या अधिक व्यक्तियों को नियोजित करते हैं और उन क्षेत्रों में स्थित है जहां योजना को पहले ही लागू कर दिया गया है, पहले से ही इसके अन्तर्गत आते हैं ।

(घ) सरकार देश में उन सभी औद्योगिक केन्द्रों में, जहां बीमा योग्य जनसंख्या अधिक है, क०रा०बी० योजना को लागू करने की इच्छुक है। वर्ष 1990-91 के लिए योजना के क्रमिक कार्यक्रम के अनुसार, इस योजना को देश के 60 नए औद्योगिक केन्द्रों पर लागू किया जाना है जिसमें लगभग 1.13 लाख अतिरिक्त कर्मचारी (बीड़ी कर्मकार सहित) आते हैं।

मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछले क्षेत्रों में लड़कियों की साक्षरता दर

581. श्री अजीत जोगी :
श्री चन्द्रिका प्रसाद त्रिपाठी :

क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि मध्य प्रदेश के आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं की साक्षरता दर मात्र 5 प्रतिशत के लगभग है;

(ख) यदि हां, तो क्या "साक्षरता टैकनोलोजी मिशन" या आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों में महिला साक्षरता का स्तर बढ़ाने के लिए कोई नई पहल की जा रही है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए कोई निधि आवंटित की गई है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या देश के अन्य राज्यों में भी जहां इस प्रकार की स्थिति है, कोई पहल की गई है ?

श्रम और कल्याण मंत्री (श्री राम विलास पासवान) : (क) जी, हां, मध्य प्रदेश में आदिवासी महिलाओं से संबंधित साक्षरता दर 3.6% है।

(ख) मध्य प्रदेश के साक्षरता प्रौद्योगिकी मिशन मुख्यत: प्रौढ़ शिक्षा के लिए है जिसे समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है। प्राथमिक स्कूल तथा आश्रम स्कूल सहित प्राथमिक शिक्षा का नेटवर्क तैयार करने प्रारम्भिक तथा माध्यमिक स्तर पर छात्रवृत्ति/वृत्तिका और योग्यता छात्रवृत्ति, वर्दी, पाठ्यपुस्तकों तथा अन्य संबंधित सामग्री की पूर्ति जैसे कुछ कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। केवल लड़कियों के लिए पृथक होस्टल भी स्थापित किए गए हैं। आदिवासी क्षेत्रों की महिलाओं में साक्षरता की ऊंची दर को बढ़ावा देने के लिए प्रायोगिक आधार पर आदिवासी बोलियां में शिक्षण शुरू किया गया है।

(ग) आदिवासी महिलाओं से संबंधित योजनाओं के लिए आवंटित धनराशि के अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986, में महिलाओं द्वारा शिक्षा अवसरों की पहुंच में पाई गई असमानता को दूर करने हेतु विशेष बल की व्यवस्था है। ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में महिलाओं की शिक्षा सहित देश भर में महिलाओं की शिक्षा पर बल देने के साथ शुरू की गई हाल ही की कुछ कार्यनीतियों को दर्शाने वाला विवरण सदन के पटल पर रखा गया है। (नीचे देखिए) आदिवासी उप योजना के अन्तर्गत 1989-90 के दौरान ग्रामीण कार्यात्मक साक्षरता परियोजनाओं की योजना के लिए 550 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।

विवरण

देश में महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए कार्यनीतियां

1. **महिला समस्या** : इस कार्यक्रम का आधार एक रचनातंत्र का निर्माण करना है जिसमें महिलाओं को अपनी स्वयं की शिक्षा की योजना बनाने, उसे मानीटर करने तथा ज्ञान के एक नए